अध्याय 1 : प्रस्तावना

भारतीय रेल की यात्री सेवाएं उपनगरीय एवं गैर-उपनगरीय दोनों खण्डों के लिए उपलब्ध हैं। जहां गैर-उपनगरीय रेल सेवा में लम्बी दूरी की रेलों शामिल हैं, वहीं उपनगरीय रेल सेवाएं शहरों, उपनगरों तथा विस्तारित उपनगरों में यात्रियों के तेज परिचालन को सुगम बनाने के लिए छोटी दूरी, सामान्यतया: 150 किमी तक बनी है।

उपनगरीय रेल सेवाएं ''इलैक्ट्रीकल बहुविध इकाईयों''(ईएमयू) के साथ संचालित होती है जो 6,9,12 तथा 15 कोचों के विन्यास में चलती है। ये सेवाएं सात क्षेत्रीय[1] रेलवेज में उपलब्ध कराई गई हैं और बड़े शहरों अर्थात मुम्बई (परे तथा मरे), कोलकाता (पूरे, दपूरे तथा मेरे), चेन्नै (दरे) तथा सिकन्दराबाद (दमरे) में सेवाएं देते हुए 1763 किमी में फैलीं हैं।

उपनगरीय यात्री भारतीय रेलवे द्वारा 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान ले जाए गए कुल 3054 करोड़ यात्रियों का औसतन 72.86 प्रतिशत है जिन्हे 578 उपनगरीय स्टेशनों द्वारा संचलित किया जाता है। यद्यपि, समान अवधि के दौरान उपनगरीय रेल सेवाओं से अर्जन ₹ 10567 करोड़ था जो सात क्षेत्रीय रेलवेज में कुल यात्री अर्जन (₹ 74868 करोड़) का 14.11 प्रतिशत है।

अत:, उपनगरीय रेल सेवाएं इन क्षेत्रीय रेलवेज के मुख्य शहरों की जनपरिवहन प्रणाली में मुख्य भूमिका निभाती हैं।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

क्षेत्रीय तथा डिवीजनल स्तर पर:

[1] *मरे, पूरे, दपूरे, दमरे, दरे, परे तथा मेट्रो रेलवे(मेरे), कोलकाता*

- क्षेत्रीय स्तर पर, महा प्रबन्धक समस्त रूप से संगठन का प्रभारी होता है जो नियोजन एवं प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। मुख्य इलैक्ट्रीकल इंजीनियर, मुख्य संचालन प्रबन्धक, प्रमुख मुख्य इंजिनियर, मुख्य वाणिज्यिक प्रबन्धक तथा अन्य प्रमुख विभागाध्यक्ष उसके सहायक होते हैं।
- डिवीजनल स्तर पर, डिवीजनल रेलवे प्रबन्धक डिवीजन का समस्त रूप से प्रभारी होता है तथा उपनगरीय रेल सेवाओं के सुगम प्रचालन के लिए उत्तरदायी है। वरि. डिवीजनल इलैक्ट्रिकल इंजिनियर/रोलिंग स्टॉक, वरि. डिवीजनल संचालन प्रबन्धक, वरि. डिवीजनल, वरि. डिवीजनल वाणिज्यिक प्रबन्धक तथा अन्य विभागों यथा सुरक्षा, सरंक्षा इत्यादि के शाखा अधिकारी उसके सहायक हैं।
- मेट्रो रेलवे, कोलकाता को छोड़कर इन क्षेत्रीय रेलवे में उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए कोई समर्पित संगठनात्मक व्यवस्था नहीं हैं। एक ही साझा संगठनात्मक ढांचा बजट में अलग अलग निधि आबंटन के बिना ही उपनगरीय तथा गैर-उपनगरीय सेवाओं, दोनों के लिए सेवाओं का संचालन करता हैं।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था:

I. पर्याप्त अपनगरीय रेल सेवाएं उपलब्ध करने की संचालनात्मक दक्षता;

II. उपनगरीय रेल सेवाओं का लाभ लेने वाले यात्रियों को उपलब्ध सेवाओं तथा संरक्षा की पर्याप्तता, तथा

III. उपनगरीय रेल सेवाओं के समग्र वित्तीय निष्पादन के सुधार में दक्षता।

1.3 लेखापरीक्षा, का कार्यक्षेत्र कार्यपद्धति तथा नमूना चयन

समीक्षा मे 2010-15 के दौरान उपनगरीय रेल सेवाओं के निष्पादन तथा उपनगरीय यात्रियों को उपलब्ध कराई गई यात्री सेवाओं से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है। समीक्षा में अन्य बातों के साथ पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दर्शाये गए मुद्दों के संबंध में भारतीय रेल द्वारा की गई कार्यवाही के अतिरिक्त रेलवे पर स्थाई समिति की सिफारिशों को लागू करने से संबंधित मुद्दें शामिल किए गए हैं। रेलवे के लिए बाद में आने वाले मंत्रियों द्वारा अपने रेल बजट में की गई उदघोषणाओं के कार्यान्वयन की सीमा की भी जांच की गई थी।

लेखपरीक्षा कार्य पद्धति में क्षेत्रीय मुख्यालयों, डिवीजनल कार्यालयों इलैक्ट्रीकल बहुबिध इकाई कार्यशालाओं, इलेक्ट्रिकल बहुविध इकाई यान शेडो तथा स्टेशनों पर अभिलेखों की जांच शामिल हैं। बृहद विश्लेषण के लिए, वर्ष 2010 से 2015 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए

डाटा संग्रह किया गया था तथा सूक्ष्म विश्लेषण के लिए, 2012-2015 की अवधि के लिए डाटा संग्रह किया गया था।

वर्तमान समीक्षा में, 9 कार्यशालाओं 81 आदर्श स्टेशनों तथा 14 स्टेबलिंग बिन्दुओं सहित 153 उपनगरीय स्टेशनों के नमूने की नमूना जांच की गई थी। 70 उपनगरीय स्टेशनों तथा 35 रेलों में रेलवे प्राधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण किये गए थे।

निष्पादन लेखापरीक्षा रेलवे बोर्ड में एक एन्ट्री कान्फ्रैंस (अक्तूबर 2015) के साथ प्रारंभ हुई। मसौदा रिपोर्ट 22 जनवरी 2016 को रेलवे बोर्ड को जारी की गई थी। एक्जिट कान्फ्रैंस 12 अप्रैल 2016 को रेलवे बोर्ड में आयोजित की गई थी।

1.4 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत हैं:

- इलैक्ट्रिकल, सिविल इन्जिनियरिंग, मैकेनिकल, संचालन, वाणिज्यिक, सुरक्षा एवं संरक्षा विभागों की संहिताओं तथा नियम पुस्तिकाओं के अन्तर्गत निर्धारित प्रावधान।
- उपनगरीय स्टेशनों तथा उपनगरीय रेलों में यात्री सुविधाओं के प्रावधान के संबंध में रेलवें बोर्ड/क्षेत्रीय रेलवे द्वारा जारी किये गए दिशानिर्देश/निर्देश। इलैक्ट्रीकल बहुविध इकाई कोचों के आंकलन, उपयोग तथा अनुरक्षण के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किये गए निर्देश/परिपत्र।

1.5 आभार

यह समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय रेलवेज द्वारा तथा रेलवे बोर्ड द्वारा भी दिए गए सहयोग के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं।